(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग– **III** खंड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 141 **नई दिल्ली,** 11 मई, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, डब्ल्यूक्यू–7 में अल्यूमिना, बीएफ स्लेग और कास्टिक सोडा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/52/2009–वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ------- आवेदक

आदेश

(अप्रैल, 2010 के 19वें दिन पारित)

यह मामला महापत्तन न्यासों में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008 के अनुसरण में बर्थ सं. डब्ल्यूक्यू–7 में अल्यूमिना, बीएफ स्लेग और कास्टिक सोडा के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव दिनांक 21 नवम्बर 2009 से संबंधित है। यह प्रस्ताव इसके पत्र दिनांक 18 जनवरी 2010 द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

2. इस प्रस्ताव पर निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आरएफक्यू आवेदक सहित प्रासंगिक अंशधारकों के साथ विचार–विमर्श करते हुए कार्यवाही की गई थी और बर्थ सं. डब्ल्यूक्यू–8 में समान घटकों के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु पत्तन द्वारा दाखिल किए गए दूसरे प्रस्ताव के साथ इस मामले में संयुक्त सुनवाई 17 मार्च 2010 को आयोजित की गई थी।

3. संयुक्त सुनवाई में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, वीपीटी ने दोनों बर्थों सं. डब्ल्यूक्यू–7 और डब्ल्यूक्यू–8 में प्रहस्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्गो शामिल करते हुए अपने पत्र दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है। वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए संशोधित प्रस्ताव के आधार पर अल्यूमिना और अन्य बल्क कार्गो के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु इस प्राधिकरण द्वारा 19 अप्रैल 2010 को एक पृथक आदेश सं. टीएएमपी/51/2009–वीपीटी पारित किया गया है। परिणामस्वरूप, इस मामले को अतिरिक्त रूप में बन्द किया जाता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा